दिनांक–13.02.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन प्रगति यात्रा से संबंधित बागमती नदी पर निर्मित तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं प्रोटेकशन कार्य सहित कालीकरण कार्यों की

समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

दिनांक–13.02.2026 को सम्पन्न मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदधिकारियों/संवेदक/संवेदक के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए :–

1. श्री वरूण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।
3. श्री विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
4. श्री सियाराम पासवान, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी।
5. श्री भास्कर कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी।
6. श्री शाहिद कमाल, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर।
7. श्री विपिन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर।
8. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–18, पटना।
9. श्री मयंक अग्रवाल, निदेशक, मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा प्रा० लि०, जयपुर, राजस्थान।
10. श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता, प्रतिनिधि, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, हिसार, हरियाणा ।
11. श्री मंदीप बंसल, प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, हिसार, हरियाणा।
12. श्री हिमांशु गुप्ता, प्रतिनिधि, मेसर्स जी. ए. इन्फ्रा प्रा० लि०, जयपुर, राजस्थान।

बैठक के दौरान कार्यो की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है:–

- **बागमती बायां तटबंध के कि.मी. 0.00 से 7.27, बायां एफलक्स बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.04, दायें तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 9.72, दोआब तटबंध के कि.मी. 9.00 से कि.मी. 10.00, बैरगनिया रिंग बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी 6.60 का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ. एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य।**

1. दिनांक–13.02.2026 तक इस कार्य की भौतिक प्रगति 20.50 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 16.58 प्रतिशत है, समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रस्तुतिकरण में दर्शाये गये कार्य की तुलनात्मक भौतिक प्रगति के साथ–साथ कार्य की वित्तीय प्रगति को भी दर्शाया जाये, ताकि कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों की तुलना में की जा सके।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

2. समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत चल रहे कार्यों में वास्तविक रूप से बाधक विद्युत पोलों के स्थानांतरण हेतु विद्युत विभाग द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र दे दी जायेगी।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

3. समीक्षा के क्रम में पुनः निदेश दिया गया है कि Work Programme के अनुसार GSB/WMM का कार्य प्रारंभ कर वांछित प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- **बागमती नदी के दाएं तटबंध 15.24 कि.मी. से 79.00 कि.मी., बायें तटबंध के 7.27 कि.मी. से 81.19 कि.मी., भरथुआ रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 2.13 कि.मी. एवं धनौर कटरा रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 4.70 कि.मी. का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्यः–**

1. दिनांक–13.02.2026 तक इस कार्य की भौतिक प्रगति 1.50 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 4.18 प्रतिशत है, समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विगत समीक्षात्मक बैठकों में दिये गये निदेशों के बावजूद इस कार्य में अपेक्षित/वांछित प्रगति परिलक्षित नही हुई है। इस संबंध में क्षोभ व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि कार्य में Work Programme के अनुरूप प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कार्य में संलग्न प्रमंडलों में जाकर नियमित रूप से Press Conference करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस क्षेत्र के ग्रामीणों को कार्य के संबंध में सही सूचना/ जानकारी प्राप्त हो सके।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. समीक्षा के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया है कि इस कार्यान्तर्गत लैब सेट अप किया गया है एवं कार्य में प्रयोग किये जा रहे गैबियन एवं जीयो बैग की गुणवत्ता से संबंधित प्रतिवेदन गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा निश्चित अवधि में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि कार्य में प्रयुक्त होने वाले साम्रगी की जाँच कर उसकी गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात कार्य में प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

3. समीक्षा के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया कि तटबंध के कंट्री साईड से मिट्टी प्राप्त नहीं हो रही है, इस संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि तटबंध के रिवर साईड की मिट्टी भी तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उपयुक्त है, इस संबंध में निदेश दिया गया कि रिवर साईड की मिट्टी की गुणवत्ता एवं विशिष्टि से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही इसका उपयोग तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु करेंगे। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया कि रिवर साईड में तटबंध से पर्याप्त सुरक्षित दूरी से मिट्टी की खुदाई इस प्रकार की जाय, ताकि तटबंध पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। मिट्टी की खुदाई से संबंधित मानकों का भी दृढ़ता से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- दोनो योजनाओं के संबंध में दिये गये समेकित निदेश निम्नवत् हैं:–

1. प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के क्रम में निदेश दिया गया कि कार्य के प्रोटेक्शन मद में प्रयुक्त होने वाले लोकल सैंड हेतु चैनल कटिंग किया जाना है,उस चैनल की खुदाई के पूर्व एवं बाद के फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि कार्य में वास्तविक रूप से बाधक वृक्षों के पातन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक–257 दिनांक–10.01.2025 के आलोक में जल संसाधन विभाग की ओर से आवश्यक Clarification निर्गत करने हेतु अभियंता प्रमुख, मुख्यालय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही कार्य में वास्तविक रूप से बाधक हो रहे वृक्षों के पातन के संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि श्री सुरेन्द्र सिंह, मुख्य वन संरक्षक, CAMPA से व्यक्तिगत् रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुए वांछित आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस संबंध में विलंब की स्थिति में मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/
बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)**

- बैठक में दिये गये निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दिनांक–12.03.2026 को 12.00 बजे मध्याह्न में पुनः बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/संवेदक)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34/2025 720 /पटना, दिनांक–26/02/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

26/02/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34/2025 720 /पटना, दिनांक–26/2/2026

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34/2025 720 /पटना, दिनांक–26/02/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34/2025 720 /पटना, दिनांक–26/2/2026

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी/ शिवहर/ रुन्नीसैदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/02/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34/2025 720 /पटना, दिनांक–26/2/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

26/02/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)